संत रविदास का बेगमपुरा शहर : आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

डॉ. विमल कुमार लहरी

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरा का पूरा सार संत रैदास के एक पद में समाहित है। भारतीय संविधान में समस्त जनमानस को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय का हो, वहाँ सबकी समरसता की बात करता है। सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। प्रेम एवं बंधुत्व के साथ–साथ सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने की बात करता है। यदि इस पक्ष को हम देखें तो इस पक्ष की वकालत संत रैदास ने 14वीं शताब्दी में ही कर डाला था। अर्थात् आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान को बीते कल के परिप्रेक्ष्य में 'बेगमपुरा शहर' का नाम दिया।

इस तथ्य से यह अवधारणा निर्मित होती है कि संत रविदास ने आधुनिक भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कल्पना 14वीं शताब्दी में ही बेगमपुरा शहर के रूप में कर डाला था।

संत रविदास ने अपने बेगमपुरा शहर में राजनीतिक एवं सामाजिक गुलामी का कोई स्थान नहीं दिया और स्वतंत्रता की मुखालत की। परतंत्रता (गुलामी) को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति मन की स्वतंत्रता, चित की स्वतंत्रता पर यदि किसी दूसरे का अधिकार है तो वह लोकजन स्वतंत्र होकर भी परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा है। संत रविदास परतन्त्रता से बेहतर मृत्यु को प्राप्त करना बेहतर समझते थे।